न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर।

पीठासीन अधिकारी: ज्योति सिंह मीना, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या:- 2557/2022

सी.आई.एस. नंबर:- 2557/2022

राजस्थान सरकार

.....अभियोगी

बनाम

गोपाल पुत्र रामखिलाडी, उम्र 30 साल, निवासी सिविल लाइन मोहल्ला, गडरपुरा जिला धौलपुर।

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:-

1. अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत लोधा अभियुक्त की ओर से।

- निर्णय -

दिनांक 09.03.2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी मानसिंह ने एक तहरीर रिपोर्ट थानाधिकारी थाना कोतवाली, धौलपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि दिनांक 25.07.2022 को समय करीब 12 बजे दिन में प्रार्थी के भाई गंगासिंह अपनी भतीजी पूजा व पत्नी भारती के साथ मचकुण्ड से आ रहे थे जैसे ही मंगल भारती मंदिर के पास आये तो एक नई कार वैगनार सफेद कलर की धौलपुर की ओर से बिना नंबरी के चालक ने कार को तेजगति व लापरवाही से चलाते हुये मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे मेरे भाई गंगासिंह के गंभीर चोट आई हैं। हाथ में फेक्चर है व चेहरे व शरीर पर चोट आई है और प्रार्थी की मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रार्थी के भाई गंगासिंह का इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रार्थी

भाई के इलाज कराने के कारण रिपोर्ट दर्ज करने में देरी हुई है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें....आदि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 384/2022 दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया और बाद अनुसंधान अभियुक्त गोपाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित मानते हुये आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त गोपाल को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपों को सुन व समझकर आरोपों से इंकार किया और अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू.1 राहुल कुमार, पी.डब्लू.2 मानसिंह, पी.डब्लू.3 गंगासिंह, पी.डब्लू.4 पूजा, पी.डब्लू.5 ओमप्रकाश, पी.डब्लू.6 अमित कुलश्रेष्ठ, पी.डब्लू.7 गोर्वधन सिंह, पी.डब्लू.8 भारती, पी.डब्लू.9 डॉ. जीतेन्द्र त्यागी, पी.डब्लू.10 रामपाल सिंह व पी.डब्लू.11 कृष्णअवतार को परीक्षित कर उनके बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में फर्द जब्ती मोटरसाइकिल नंबरी आर.जे.11 एच.जी.2666 प्रदर्श पी.1, फर्द जब्ती कार वैगनार नंबरी एम.पी.06 सी.बी.3210 प्रदर्श पी.2, तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी.3, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.4, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.5, मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.5, उसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.5ए, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र आहत गंगासिंह प्रदर्श पी.6, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र आहता भारती प्रदर्श पी.6, एक्सरे प्लेट आहता भारती प्रदर्श पी.7, एक्सरे रिपोर्ट आहता भारती प्रदर्श पी.8, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र आहता पूजा प्रदर्श पी.7, वाहन चालक को दिया गया नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी.8, मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट कार वैगनार नंबरी एम.पी.06 सी.बी.3210 प्रदर्श पी.9 व मोटरसाइकिल नंबरी आर.जे.11 एच.जी.2666 प्रदर्श पी.10 व आहत गंगासिंह की चोटों के बारे में विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय प्रदर्श पी.11 को प्रदर्शित कराया गया।

4. अभियुक्त गोपाल का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत परीक्षण किया गया तो अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुये साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया और अन्वीक्षा चाही।

5. बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः उसे दोषसिद्ध घोषित किया जाकर कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्को का विरोध करते हुये तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर उसे दोषसिद्ध घोषित किया जा सके। अंत में अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध में को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

6. न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु निम्न है:-

> ''आया दिनांक 25.07.2022 को समय दोपहर करीब 12.00 बजे स्थान मंगल भारती मंदिर के पास अभियुक्त गोपाल ने कार वैगनार बिना नंबरी को लोकमार्ग पर उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर परिवादी मानसिंह के भाई गंगासिंह की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर गंगासिंह, उसकी पत्नी भारती व उसकी भतीजी पूजा को साधारण एवं गंभीर उपहतियॉं कर उनका मानव जीवन संकटापित किया ?
>
> ''यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र है ? ''

7. दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त पर आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। उक्त अवधार्य बिन्दु के सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा साक्ष्य का अवलोकन किये जाने पर अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.डब्लू.1 राहुल कुमार के बयान लेखबद्ध कराये गये जिसने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि मैं दिनांक 02.08.200 को थाना कोतवाली पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन आई.ओ. कृष्णअवतार ने एफ.आई.आर. संख्या 384/22 में एक मोटरसाइकिल नंबरी आरजे11 एचजी2666 व एक कार बिना नंबरी वैगनार को उक्त मुकदमे में जरिये फर्द जब्त किया था। फर्द जब्तियां प्रदर्श पी.1 व पी.2 दोनों पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.डब्लू.2 मानसिंह के बयान लेखबद्ध कराये गये जिसने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि दिनांक 25.07.2022 को दिन के 12 बजे मेरा भाई गंगा सिंह, मेरी भतीजी पूजा व मेरे भाई की पत्नी भारती यह तीनों मोटरसाईकिल से मचकुंड से घर को आ रहे थे। तभी धौलपुर की ओर से एक कार वेगनार को उसका चालक तेज गति से लहराके चलाकर लाया और मेरे भाई की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। टक्कर से तीनों के चोटें आई। फिर मुझे गंगा सिंह ने एक्सीडेंट की सूचना दी तब मैं मौके पर पहुंचा तब तक पुलिस वहां आ गई थी। पुलिस उसे अस्पताल ले आई। मैंने इस घटना की थाने पर रिपोर्ट की थी जिसकी असल रिपोर्ट प्रदर्श पी.3 है जिसकी चाक रिपोर्ट प्रदर्श पी.4 है जिन दोनों पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरे सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.5 बनाया था जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरे सामने मोटरसाईकिल को जरिये फर्द जब्त किया था। फर्द जब्ती मोटरसाईकिल प्रदर्श पी.1 पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

9. अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.डब्लू.3 गंगासिंह के बयान लेखबद्ध कराये गये जिसने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि दिनांक 25.07.2022 को दिन के 12 बजे मैं, मेरी भतीजी पूजा व मेरी पत्नी भारती वे तीनों मोटरसाईकिल से मचकुंड से घर को आ रहे थे। तभी धौलपुर की ओर से एक कार वेगनार को उसका चालक तेज गति से लहराके चलाकर लाया और हमारी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। टक्कर से हम तीनों के चोटें आई। फिर मैंने एक्सीडेंट की सूचना मेरे भाई मानसिंह को दी तब तक पुलिस वहां आ गई थी। पुलिस हमको अस्पताल ले आई। मेरी चोटों का मेडिकल मुआयना था जो प्रदर्श पी.6 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं । मेरा एक्सरे भी हुआ था तथा मेरे बायें हाथ में अस्थिभंग हुआ था व अन्य चोटें आई थीं। पुलिस ने मेरे सामने मोटरसाईकिल को जरिये फर्द जब्त किया था। फर्द जब्ती मोटरसाईकिल प्रदर्श पी.1 पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है।

10. अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.डब्लू.4 पूजा के बयान लेखबद्ध कराये गये जिसने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि दिनांक 25.07.2022 को दिन के 12 बजे मैं, मेरे चाचा गंगा व मेरी चाची भारती वे तीनों मोटरसाईकिल से मचकुंड से घर को आ रहे थे। तभी धौलपुर की ओर से एक कार वेगनार को उसका चालक तेज गति

से लहराके चलाकर लाया और हमारी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। टक्कर से हम तीनों के चोटें आई। फिर पुलिस आ गई जो हमको अस्पताल ले गई। पुलिस ने मेरे सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.5 बनाया जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरी चोटों का मेडिकल मुआयना था जो प्रदर्श पी.7 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं।

11. अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.डब्लू.5 ओमप्रकाश के बयान लेखबद्ध कराये गये जिसने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि मैं दिनांक 02.08.22 को थाना कोतवाली पर एचएम मालखाना के पद पर कार्यरत था। उस दिन श्री कृष्णाअवतार हैड कानि.205 ओपी मचकुण्ड ने मय फर्द जब्ती मय माल मुकदमा नंबर 384/22 की दी जिसमें एक कार वैगनार नंबरी एम.पी.06 सी.वी.3210 व एक मोटरसाइकिल नंबरी आर.जे.11 एस.जे.2666 को मैंने मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 215/628 पर इंद्राज किया था। मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.5 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.5 ए है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

12. अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.डब्लू.6 अमित कुलश्रेष्ठ के बयान लेखबद्ध कराये गये जिसने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि मेरे पास एक कार नंबरी एम.पी.06 सी.बी.3210 था। मैंने उक्त गाडी पर चालक गोपाल को रखा था। मुझे पुलिस ने नोटिस प्रदर्श पी.8 दिया था जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है जिसका सी से डी भाग को सुनकर गवाह ने कहा कि यह सही लिखा है। ऐसा जबाव मैंने पुलिस को दिया था। मेरी उक्त गाडी पुलिस ने जब्त की थी जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.2 पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं।

13. अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.डब्लू.7 गोवर्धन सिंह के बयान लेखबद्ध कराये गये जिसने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि मेरे सामने पुलिस ने मेरे बेटे की कार वेगनार को जरिये फर्द जब्त किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.2 पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं।

14. अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.डब्लू.8 भारती के बयान लेखबद्ध कराये गये जिसने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि आज से लगभग 3 साल पहले मैं व मेरे पति मचकुण्ड से आ रहे थे। मेरे पति मोटरसाइकिल चला रहे थे वह पीछे बैठी थी जब हम मंगल भारती मंदिर के पास आये तो सामने से एक कार सफेद रंग की

जिसका ड्राइवर उसे तेजगति व लापरवाही से चला रहा था उसने हमारी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे मेरे व मेरे पति के चोटें आईं। हमारी मोटरसाइकिल भी टूट गई थी। कार चालक मौके पर गाडी को छोडकर भाग गये। मेरे चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.6 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं।

15. अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.डब्लू.9 डॉ. जीतेन्द्र त्यागी के बयान लेखबद्ध कराये गये जिसने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि मैं दिनाक 27.07.2022 को मैडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर जिला चिकित्सालय धौलपुर में कार्यरत था। उस दिन मैंने थानाधिकारी थाना कोतवाली धौलपुर की तहरीर पर मजरूबा पूजा कुमारी पुत्र श्री रामलाल उम्र 17 वर्ष निवासी बरन कॉलोनी धौलपुर की शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था जिसमें दर्दनुमा सूजन 4 गुना 6 सेमी साइज दाई जांघ पर था, दर्दनुमा सूजन 6 गुना 7 सेमी बाई जाघ पर, दो दातों में ढिल्लेपन शिकायत जिसके लिए उसने इंटिस्ट की सलाह दी। उपरोक्त सभी चोटें साधारण प्रकृति एथ कुंद हथियार से कारित थी। चोटें की अवधि लगभग 2 से 3 दिन के मध्य की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.7 पर ए से बी मजरूबा के हस्ताक्षर, सी से डी मेरे हस्ताक्षर एवं ई से एफ मजरूबा का पहचान चिहन अंकित है। उसी दिन मैंने मजरुवा भारती पत्नी श्री गंगा सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी चरन कॉलोनी धौलपुर की शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था जिसमें नीलनूमा चोट 3 गुना 4 सेमी, बाई कहुनी पर, दर्दनुमा सूजन 4 गुना 3 सेमी बाएं घुटने पर व खुरसटनुमा चोट 5 गुना 2 सेमी पीठ पर। चोट नंबर 2 व 3 के लिए मैंने एक्सरे की सलाह दी थी। बाद एक्सरे कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया गया। अतः उपरोक्त 3 चोटें साधारण प्रकृति एवं कुंद हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.6 पर ए से बी मजरूबा के हस्ताक्षर, सी से डी मेरे हस्ताक्षर एव ई से एफ मजरूबा का पहचान चिहन अकित्त है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी.7 एवं एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी.8 पर सी से डी मेरी राय अंकित है।

16. अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.डब्लू.10 रामपाल सिंह के बयान लेखबद्ध कराये गये जिसने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि वर्ष 2022 में मैं थाना कोतवाली में कानि. चालक के पद पर कार्यरत था। तब मैंने एफआईआर नंबर 384/22 में जब्तशुदा एक कार वेगनार नंबरी एमपी 06 सीबी 3210 का मेकेनिकल मुआयना करने हेतु श्री कृष्णावतार एचसी ने तहरीर मुझे दी। इस पर मेरे द्वारा एमआई

एक कार वेगन आर रंग सफेद जिसका रेडियेटर व आगे से बंपर टेडा था। कार चलने योग्य नहीं थी व इसी मुकदमें में जब्तशुदा एक मोटर साइकिल नंबरी आरजे 11 एसजी 2666 का मुआयना किया था जिसकी हैड लाइट टूटी थी हेंडल व लेग गार्ड मुडे हुए थे तथा साइलेंसर मुडा हुआ था। आगे के दोनों शॉकर मुडे हुए थे। बॉडी कवर टूटे हुए थे तथा मोटर साइकिल चलने योग्य नहीं थी। मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी.9 व पी.10 दोनों पर ही ए से बी मेरे हस्ताक्षर व सी से डी मेरी रिपोर्ट अंकित है।

17. अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.डब्लू.11 कृष्णअवतार के बयान लेखबद्ध कराये गये जिसने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि मैं दिनांक 26.07.2022 को चौकी मचकुण्ड थाना कोतवाली पर हैड कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन एफआईआर नंबर 384/2022 धारा 279, 337 आईपीसी का अनुसंधान मेरे नाम किया गया था। उसमें दिनांक 27.07.2022 को मुकदमा की मजरूब श्रीमती भारती की निशादेही से घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था तथा श्रीमती भारती, कुमारी पूजा व मुकदमा के मुस्तगीस श्री मानसिंह के बयान लेखबद्ध किये थे। मुकदमा के मजरूब श्रीमती भारती, कुमारी पूजा व श्री गंगासिंह का डॉक्टरी मुआयना कराया गया था। दिनांक 02.08.2022 को मुकदमा में क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल को रजिस्टर्ड मालिक श्री गंगासिंह से जप्त किया गया था तथा श्री गंगासिंह के बयान लेखबद्ध किये गये थे। मुकदमा की दुर्घटनाकारक बिना नंबरी वैगनार कार को उसके रजिस्टर्ड मालिक के कब्जे से जप्त किया गया था। रजिस्टर्ड मालिक को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया जाकर वक्त घटना चालक के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी तथा दुर्घटनाग्रस्त व दुर्घटनाकारक मोटरसाइकिल व वैगनार कार का मैकेनिकल मुआयना कराया गया। घायल श्रीमती भारती, गगासिंह व कुमारी पूजा की मेडिकल व एक्सरे रिपोर्ट व प्लेट प्राप्त की गयी। गंगासिंह की एक्सरे रिपोर्ट में अस्थिभंग होना पाये जाने पर मुकदमा में धारा 338 आईपीसी जोडी गयी थी। समस्त अनुसंधान से वक्तघटना वैगनार बिना नंबरी कार के चालक गोपाल सिंह पुत्र रामखिलाडी सिंह बघेला के खिलाफ जुर्म धारा 279, 337ए, 338 आईपीसी का प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली चालान आदेश हेतु श्रीमान् एसएचओ साहब के समक्ष पेश की। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी.3 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी.4 है। फर्द जप्ती मोटरसाइकिल व कार प्रदर्श पी.1 व पी.2 दोनों पर जी से एच स्थान पर मेरे हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 5 पर ई

से एफ मेरे हस्ताक्षर व जी से एच भारती के हस्ताक्षर है। मजरूबान के चोट प्रतिवेदन मय एक्सरे रिपोर्ट व प्लेट प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये। नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी.8 है जिसका ई से एफ भाग नोटिस है जिस पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर व सी से डी भाग जवाब नोटिस है जिस पर ए से बी भाग वाहन स्वामी अमित के हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा वाहनों की एमआई रिपोर्ट प्रदर्श पी.9 व पी.10 है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.5ए है। मजरूब गंगासिंह की चोट के बारे में विशेषज्ञ की राय प्राप्त की गयी जो प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी मेरे द्वारा प्रस्तुत तहरीर है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं तथा ई से एफ विशेषज्ञ की राय है जिस पर जी से एच उनके हस्ताक्षर हैं जिस पर आई से जे मजरूब के हस्ताक्षर हैं। एम.ओ. साहब ने मजरूब की चोट को ग्रीवियस ब्लंट माना जिसके आधार पर धारा 338 आईपीसी जोडी गई। जब्तशुदा वाहनों के आरसी व बीमा की छायाप्रतियां शामिल पत्रावली हैं। चार्जशीट पर थानाधिकारी अध्यात्म गौतम पुलिस निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं जिन्हें मैं उनका अधीनस्थ कर्मचारी होने के कारण पहचानता हूँ।

18. बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस अनुसरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकरण के आहत साक्षी गवाह पी.डब्ल्यू.3 गंगासिंह के बयान देखें तो उसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कहानी का सर्मथन किया है परंतु जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह स्वीकार करता है कि मोटरसाइकिल का चैसिस नंबर व इंजन नंबर उसे याद नहीं है। मोटरसाइकिल को वह स्वयं चलाकर ले जा रहा था उस रोड पर गड्डे है और रोड क्षतिग्रस्त भी है। यह सही है कि जब रोड क्षतिग्रस्त है तो उस पर वाहन ज्यादा तेज नहीं चल सकता उसे ध्यान नहीं कि पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल किस तारीख को जब्त की थी। इस प्रकार यह गवाह वाहन चालक की पहचान के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट कथन नहीं करता है। प्रकरण की अन्य आहत साक्षी पी.डब्ल्यू.4 पूजा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कहानी की ताईद करती है और जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में स्वीकार करती है कि उसे मोटरसाइकिल का नंबर ध्यान नहीं है। उस समय उस रोड पर और कोई वाहन नहीं था। उसे ध्यान नहीं कि उसका पुलिस बयान हुआ या नहीं। उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल का कोई नक्शा मौका नहीं बनाया। गवाह

पी.डब्ल्यू.8 भारती भी प्रकरण की आहत साक्षी है जो अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कहानी का समर्थन करती है और जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में जाहिर करती है कि मोटरसाइकिल का नंबर व मॉडल उसे ध्यान नहीं है। उसका पुलिस में बयान तथा मेडिकल मुआयना हुआ या नहीं उसे ध्यान नहीं है। इस प्रकार प्रकरण के समस्त आहत साक्षी अपनी-अपनी जिरह में अभियोजन कहानी के विरोधाभासी कथन करते हैं तथा कहीं भी अभियुक्त की पहचान के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं करते हैं। अब यदि प्रकरण के परिवादी/रिपोर्टकर्ता पी.डब्ल्यू.2 मानसिंह के बयान देखें तो वह अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कहानी की ताईद करता है परंतु जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में स्वीकार करता है कि वह घटना के वक्त मौके पर नहीं था। उसके भाई गंगा सिंह ने उसे सूचना दी थी तब वह वहां पहुंचा था। नक्शा मौका घटनास्थल के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या-क्या था आज उसे ध्यान नहीं है। पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त की थी परंतु किस तारीख को जब्त की उसे ध्यान नहीं है। इस प्रकार यह गवाह प्रकरण का अनुश्रूत साक्षी है जो वक्त घटना मौके पर मौजूद नहीं था। गवाह पी.डब्ल्यू.6 अमित कुलश्रेष्ठ प्रकरण में जब्तशुदा कार नंबरी एम.पी.06 सी.बी.3210 का वाहन स्वामी है जो अपनी मुख्य परीक्षा में पुलिस द्वारा उसे नोटिस प्रदर्श पी.8 दिये जाने का कथन करता है परंतु जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह स्वीकार करता है कि पुलिस ने उसे नोटिस बगैरा नहीं दिया बल्कि फोन किया था। वह मौके पर मौजूद नहीं था इसलिए वह नहीं बता सकता कि चालक उसकी गाडी को किस तरह से चला रहा था। वह मौके पर मौजूद नहीं था इसलिए उसे घटना की जानकारी नहीं है। इस प्रकार यह गवाह केवल मात्र पुलिस द्वारा उसे नोटिस धारा 133 एम.वी. एक्ट दिये जाने का कथन करता है।

19. गवाह पी.डब्ल्यू.11 कृष्णअवतार प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जो प्रकरण का विधि-अनुसार अनुसंधान करते हुये विभिन्न फर्दात तैयार करने की साक्ष्य देता है परंतु जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह जाहिर करता है कि उसे ध्यान नहीं कि वह घटना वाले दिन मौके पर गया था या नहीं। यह सही है कि जिस दिन नक्शा मौका बनाया था उस दिन भी राहगीर आ-जा रहे थे। राहगीरों में से उसने नक्शा मौका के लिये कोई गवाह नहीं बनाया। उसे ध्यान नहीं कि उसने गवाहान के बयान किस

जगह और किस समय लिये थे। इस प्रकार गवाह ने प्रकरण का विधि अनुसार अनुसंधान तो किया है परंतु अभियोजन कहानी के तात्विक तथ्यों की सम्पुष्टि नहीं कर पाया है कि वक्तघटना वाहन चालक अभियुक्त गोपाल ही हो। गवाह पी.डब्ल्यू.5 ओमप्रकाश प्रकरण में जब्तशुदा मोटरसाइकिल नंबरी आर.जे.11 एस.जे.2666 व कार वैगनार नंबरी एम.पी.06 सी.वी.3210 को मालखाने में जमा कराने का साक्षी है जो जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में जाहिर करता है कि उसे वाहन जब्त करने की जानकारी नहीं है कि वाहन कहां और कब जब्त हुआ था। उसके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। गवाह पी.डब्ल्यू.10 प्रकरण में जब्तशुदा मोटरसाइकिल नंबरी आर.जे.11 एस.जे.2666 व कार वैगनार नंबरी एम.पी.06 सी.वी.3210 का मैकेनिकल मुआयना करने का साक्षी है जो जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में स्वीकार करता है कि कृष्णाअवतार जी ने ही उसे बताया था कि इन दोनों वाहनों का एक्सीडेंट हो गया है वह घटना के समय मौके पर नहीं था। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य अभियुक्त चालक की पहचान के सम्बन्ध में अपर्याप्त है। गवाह पी.डब्ल्यू.09 डॉ. जीतेन्द्र त्यागी प्रकरण में आहतगण पूजा व भारती के मेडिकल मुआयना करने का औपचारिक साक्षी है तथा अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू.1 राहुल व पी.डब्ल्यू.7 गोवर्धन सिंह प्रकरण में जब्तशुदा वाहनों की फर्द जब्तियों के औपचारिक साक्षी हैं जिनकी साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये किसी भी गवाहान ने अभियुक्त चालक की पहचान अथवा नाम के सम्बन्ध में एकमात्र कथन नहीं किये हैं और प्रकरण में परिवादी द्वारा उसे दी गई सूचना के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराना स्पष्ट हुआ है और यहां तक कि प्रकरण के तीनों आहत साक्षी भी इस सम्बन्ध में कोई कथन नहीं करते कि वक्तघटना वाहन चालक गोपाल ही था जिस कारण अभियोजन पक्ष अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूरी तरह असफल रहा है कि दिनांक 25.07.2022 को समय दोपहर करीब 12.00 बजे स्थान मंगल भारती मंदिर के पास अभियुक्त गोपाल ने कार वैगनार बिना नंबरी को लोकमार्ग पर उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर परिवादी मानसिंह के भाई गंगासिंह की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर गंगासिंह, उसकी पत्नी भारती व उसकी भतीजी पूजा को साधारण एवं गंभीर उपहतियाँ कर उनका मानव जीवन संकटापित किया हो तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त गोपाल को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279,

337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

-○:: आदेश ::○-

20. परिणामतः अभियुक्त गोपाल पुत्र रामखिलाडी, उम्र 30 साल, निवासी सिविल लाइन मोहल्ला, गडरपुरा जिला धौलपुर को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता हैं। अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में लिये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटरसाइकिल नंबरी आर.जे.11 एस.जी.2666 पूर्व में सुपुर्दगीदार गंगासिंह व कार वेगनार नंबरी एम.पी.06 सी.बी.3210 सुपुर्दगीदार अमित कुलश्रेष्ठ को सुपुर्दगी पर दिये जा चुके हैं जो बाद गुजरने मियांद अपील, अपील न होने की सूरत में सुपुर्दगीदारान के पास रहे।

(ज्योति सिंह मीना)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ,
धौलपुर।

21. निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(ज्योति सिंह मीना)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ,
धौलपुर।

ABHINAV SHRIVASTAVA
Stenographer-III
"Authenticate Document"
Digitally signed by ABHINAV SHRIVASTAVA
Date: 2026.03.09 16:51:47 +0530